न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा (भीलवाड़ा)

421/17 वाद

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13/3/18 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है/पत्रिका है~~
अतः पत्रावली दिनांक 26/3/18 को पेश हो।
रीडर
उपखण्ड अधिकारी,करेड़ा

26/3/18 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है/पत्रिका है~~
अतः पत्रावली दिनांक 2/5/18 को पेश हो।
रीडर
उपखण्ड अधिकारी,करेड़ा

2/5/18 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में वकील वादी उप. प्रार्थना पत्र ओ. 7 R. 7 व धारा 151 जाब्ते के जवाब/बहस हेतु पत्रावली दिनांक 12/6/18 को कैम्प दहीमथा पेश हो।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

12-6/18 पत्रावली लोक अदालत शिविर दहीमथा पर पेश हुई। पत्रावली का मुआयना के आधार पर अवलोकन किया। वादी स्वयं की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण हटाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से बाधित करवाना चाहता है परन्तु वादपत्र में सक्षम न्यायालय के प्रकरण सं[illegible]

प्र० सं० 421/17

धा25

का उल्लेख किया है परन्तु
उसकी अनुपालना में दी गई पत्रावली है
जिसमें प्रतिवादीगणों का अतिचार
सिद्ध होता हो ऐसा कोई
प्रमाण प्रतिवादीयों के विरुद्ध
पेश नहीं किया। पूर्ण प्रमाण
के साथ वह अंतर्गत धारा 188
R.T. Act के तहत प्रतिवादीगणों
के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत
हेतु स्वतंत्र है। परन्तु बिना प्रमाण
के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध
स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर बिना
प्रमाण के निषेध किया जाना
न्यायालय की दृष्टि में उचित प्रतीत
नहीं होकर अवैधानिक है।

अतः वादी का वादपत्र
उपरोक्त विवेचन के आधार
पर, प्रमाणिकता से परे होकर
साक्ष्य के अभाव में विरुद्ध प्रतिवादीगण
खारिज किये जाने के आदेश
प्रदान किये जाते हैं। पालनार्थ
तहसीलदार करेड़ा को लिखा
जावे। तदनुसार [illegible] मुक्त की
हो पत्रावली दर्ज रजिस्टर से
कम की जाकर पत्रावली फैसल
शुमार हो। तथा दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रपत्र-5

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नरैना

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- रजनी मालीवाल

उनवान

श्री भंवर लाल पिता रामसुख आदि बनाम श्री नेनू पिता लालू वगैरह

दावा बाबत् 188

मुकदमा नम्बर :- 421/17
निर्णय दिनांक :- 12-06-18

वादी की ओर से .... की य प्रतियादी की ओर से ....
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को रजनी मालीवाल (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी नरैना के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादी का वादपत्र प्रमाणिकता से परे होकर साक्ष्य के अभाव में विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 12-06-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

* अनावान पृष्ठ पर अंकित है।

उपखंड अधिकारी
सहायक कलेक्टर उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर ....

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के निर्वाह व्यय	
5. सक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

उनवान

1. श्री भंवर लाल पिता रामाचन्द्र स्वामी निवासी रेह तह० करेडा
2. श्री रघुनाथ पिता रामाचन्द्र स्वामी निवासी रेह तह. करेडा
3. श्रीमती केसी पत्नी रामाचन्द्र स्वामी निवासी रेह तह. करेडा

वादीगण.

बनाम

1. श्री नेनु पिता लालू बलाई निवासी रहीमपा तह. करेडा
2. श्री सोहन पिता लालू बलाई निवासी रहीमपा तह. करेडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा

प्रतिवादीगण